निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 37/2014 (2014/00522)

अनवान

1- भंवरलाल पिता रामचन्द्र नट निवासी भण्डारिया तह. चित्तौड़गढ
2- मोहन पिता रामचन्द्र नट निवासी भण्डारिया तह. चित्तौड़गढ
3- मांगू पिता रामचन्द्र नट निवासी भण्डारिया तह. चित्तौड़गढ

— वादीगण

बनाम

1- बद्रीलाल पिता रामचन्द्र नट निवासी भण्डारिया तह. चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ
2- भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र - अन्तर्गत धारा 53, 188 एवं 209 आर.टी.ए.

उपस्थिति : 1- श्री मोहम्मद रईस अधिवक्ता वादीगण
2- श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी 1

निर्णय

दिनांक 23/9/2021

संक्षेप मे विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 एवं 209 आर. टी. ए. विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम सेती प.ह. सेती तहसील चित्तौड़गढ मे आराजी नम्बर 1645 मी. रकबा 0.49 हे. स्थित है। वादीगण एवं [illegible] संख्या 1 के समान रूप से संयुक्त स्वामित्व [illegible] शामिल खेती होती आ रही है, लेकिन [illegible] के कारण प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] आ गया एवं वादीगण

---- लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.19 14:51:39 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को पांति बटवाडे हेतु दिनांक 17/12/2009 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लडाई झगडा हेतु आमदा हुआ एवं पांती बटवाडा करने हेतु मना कर दिया, जिससे साथ रह कर कृषि करना सम्भव नही है। अन्त मे वादीगण ने उक्त आरजी का विभाजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सेनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अनुसार अलग-अलग कब्जा दिलाया जाकर अलग से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाये जाने की इस्तदुआ की।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई प्रकरण मे दिनांक 23/07/2012 को प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका के विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 12/11/2012 को वादीगण का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 12/11/2012 के विरूद्व वादीगण द्वारा मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत की गई। मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्र.सं. 16/2013 डिक्री मे दिनांक 17/01/2014 निर्णय पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12/11/2012 को निरस्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश प्रदान किए गए कि उभय पक्षकारों की उपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल विभाजन नियम 18 से 21 की अनुपालना करते हुए दुबारा सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के उक्त निर्णय दिनांक 17/01/2014 के विरूद्व प्रतिवादी संख्या एक द्वारा मा. न्याया[illegible] अजमेर मे अपील प्रस्तुत की गयी। मा. न्या[illegible] अजमेर द्वारा प्रतिवादी स[illegible] को अ[illegible]करण संख्या 2020/1586 मे दिनांक [illegible] पारित निर्णय से निरस्त कर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा

......लगातार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.19 14:51:39 IST
Reason: SelfAttested

पारित निर्णय दिनांक 17/01/2014 को यथावत रखा, जिस पर इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 23/7/2012 अनुसार प्रकरण मे नियुक्त कमिश्नर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मौका के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना मे मौका के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए गए। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण अन्तिम डिक्री किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन प्रस्ताव पर एतराज जताते हुए कथन किया कि विभाजन नियमो की पालना नही की गई है, अतः विभाजन प्रस्ताव दुबारा मंगाये जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका विभाजन प्रस्ताव का गहनता से परीक्षण किया एवं बहस अधिवक्ता उभय पक्ष पर मनन किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा तैयार कर प्रस्तुत मौका विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार पाया जाने से तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप होने से वादीगण का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	किस्म	भू राजस्व
1.-	बड़ीलाल पिता रामचन्द्र नट सा. देह म. भण्डारिया खाते०	1645 मे से उत्तरी पूर्वी भाग	0.1225	चाही2	3.06
	योग	1	[illegible]		3.06
2.-	भंवरलाल पिता रामचन्द्र नट सा. देह म. भण्डारिया खाते०	[illegible] मे से मध्य मे [illegible] पूर्वी कोने से लगती हुई	[illegible]	[illegible]	3.06
	योग	1	0.1225		3.06

--- लगातार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.19 14:51:39 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	किस्म	भू राजस्व
3-	मोहन पिता रामचन्द्र जट सा॰ देह म॰ भण्डारिया खाते॰	1645 मे से मध्य मे अवस्थित मांगू के मध्य	0·1225	चाही2	3·06
	योग	1	0·1225		3·06
५-	मांगू पिता रामचन्द्र जट सा॰ देह म॰ भण्डारिया खाते॰	1645 मे से पाश्चिमी भाग	0·1225	चाही2	3·06
	योग	1	0·1225		3·06

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.19 14:51:39 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **श्याम सुन्दर बिश्नोई** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.भंवरलाल पिता रामचन्द्र नट निवासी भण्डारिया तह.चित्तौड़गढ़
2.मोहन पिता रामचन्द्र नट निवासी भण्डारिया तह.चित्तौड़गढ
3.मांगू पिता रामचन्द्र नट निवासी भण्डारिया तह.चित्तौड़गढ

–वादीगण

वनाम

1.बद्रीलाल पिता रामचन्द्र नट निवासी भण्डारिया तह.व जिला चित्तौड़गढ़
2.भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

–प्रतिवादीगण

प्र.स. 37/2014 (GCMS 2014/00522)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 53,188 एंव 209 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री मौहम्मद रईस की, और प्रतिवादी कीं ओर से वकील श्री दीपक शर्मा की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता है–

क्र.स.	नाम खातेदार	आ.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	बद्रीलाल पिता रामचन्द्र नट सा. देह म. भण्डारिया खाते.	1645 मे से उत्तरी पूर्वी भाग	0.1225	चाही 2	3.06
	योग	1	0.1225		3.06
2.	भंवरलाल पिता रामचन्द्र नट सा. देह म.भण्डारिया खाते.	1645 मे से मध्य मे दक्षिणी पूर्वी कोने से लगती हुई	0.1225	चाही 2	3.06
	योग	1	0.1225		3.06

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.19 14:51:39 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

	मोहन पिता रामचन्द्र नट सा. देह म.भण्डारिया	1645 मे से. मध्य मे भंवर व मांगू के मध्य	0.1225	चाही 2	3.06
	योग	1	0.1225		3.06
4.	मांगू पिता रामचन्द्र नट सा. देह म.भण्डारिया खाते.	1645 मे से पश्चिमी भाग	0.1225	चाही 2	3.06
	योग	1	0.1225		3.06

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

इस वाद के खर्च – प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा – को दी जावे। यह आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.19 14:51:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस ग्राम सैंती

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महो०
के प्र.सं. 37/2014 निर्णय दि. 23/7/2012
उनवान - भंवरलाल पि. रामचन्द्र जाट
बनाम
कडीलाल पि. रामचन्द्र जाट
मे प्राथमिक डिक्री के साथ
प्रस्तावित

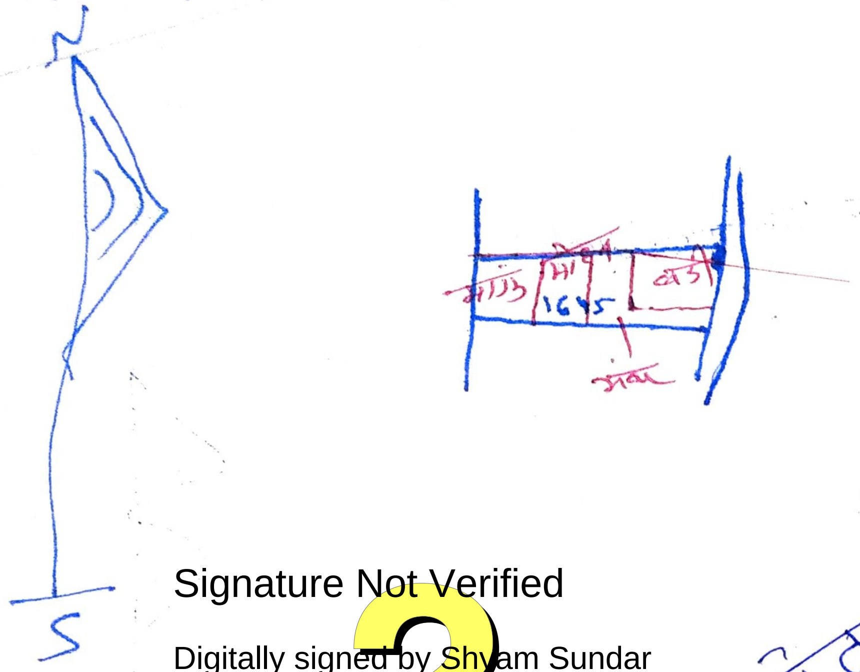

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.19 14:51:39 IST
Reason: SelfAttested

मांगीलाल

मोहन

पटवारी
प ह सैंती